

विचारणीय मुद्दे: वस्तु एवं सेवा कर बिल, 2017

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर बिल, 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर बिल, 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर बिल, 2017 तथा वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) बिल, 2017 को लोकसभा में 27 मार्च, 2017 को पेश किया गया।^{1,2,3,4} यह नोट इन बिलों की विशेषताओं और विचारणीय मुद्दों की जानकारी देता है।

संदर्भ

संविधान (101वां) संशोधन एक्ट, 2016 केंद्र और राज्य, दोनों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की वसूली करने की अनुमति देता है। 2016 के संशोधन से पूर्व टैक्स वसूलने की शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित थी। उदाहरण के लिए अगर केंद्र केवल सेवाओं पर टैक्स लगाता था, तो राज्य केवल बिक्री के समय वस्तुओं पर टैक्स लगाता था। 2016 के संशोधन के तहत जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के विभिन्न टैक्सों जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इंटी टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स की जगह ले ली। अब जीएसटी के तहत अधिकतर वस्तु एवं सेवाएं आ जाएंगी, किंतु मानव उपभोग के लिए एल्कोहल इसके दायरे से बाहर रहेगी। शुरुआत में पेट्रोलियम उत्पाद इसके दायरे से बाहर थे लेकिन अगर जीएसटी परिषद इसे जीएसटी के दायरे में रखने का फैसला करती है तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे।

जीएसटी की संरचना के तहत : (i) केंद्र केंद्रीय जीएसटी की वसूली करेगा और उसे इकट्ठा करेगा, (ii) राज्य राज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई पर राज्य जीएसटी की वसूली करेंगे और उसे इकट्ठा करेंगे। केंद्र एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) की वसूली करेगा और उस राज्य को टैक्स में से हिस्सेदारी देगा, जहां वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया गया है। 2016 का एक्ट संसद से यह अपेक्षा करता है कि वह जीएसटी के लागू होने के बाद किसी भी प्रकार के राजस्व घाटे का मुआवजा राज्यों को देगी।

2016 का संविधान संशोधन जीएसटी परिषद की स्थापना करता है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और वे जीएसटी को लागू करेंगे। यह परिषद निम्नलिखित विषयों पर फैसला लेगी : (i) जीएसटी की दरें, (ii) जीएसटी के तहत आने वाले टैक्स, (iii) जीएसटी के दायरे में आने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं, (iv) संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित मॉडल कानून, (v) आईजीएसटी का बंटवारा, और (vi) उत्तर पूर्वी अथवा हिमालयी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।

वस्तु एवं सेवा कर बिल

जिन चार बिलों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, वे हैं (i) केंद्रीय जीएसटी बिल, 2017, (ii) केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी बिल, 2017 (iii) एकीकृत जीएसटी बिल, 2017, और (iv) वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) बिल, 2017। एसजीएसटी विभिन्न राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जाएगा और हमारा अनुमान है कि वह केंद्रीय जीएसटी बिल के समान होगा।

- जीएसटी की वसूली** : केंद्र केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) की वसूली करेगा और राज्य राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की वसूली करेंगे। केंद्र आईजीएसटी की वसूली निम्नलिखित मामलों में करेगा : (i) वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्यीय सप्लाई, (ii) आयात और निर्यात, और (iii) विशेष आर्थिक जोन्स (सेज़) को और वहां से होने वाली सप्लाई।
- कर दरें** : जीएसटी परिषद सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के संबंध में टैक्स दरों पर सुझाव देगी। सीजीएसटी और एसजीएसटी में से प्रत्येक की टैक्स दरें 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आईजीएसटी की टैक्स दर 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर सेस वसूला जाएगा, ताकि राजस्व घाटे के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जा सके (इस पर बाद में चर्चा की जाएगी)। केंद्रीय

जीएसटी बिल कुछ टैक्सपेयर्स को, जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम है, टर्नओवर पर फ्लैट रेट से सीजीएसटी चुकाने की अनुमति देता है (कंपोजिशन लेवी)। वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई की कीमत पर टैक्स चुकाने की बजाय उन्हें यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

- **देनदारी की तारीख** : वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई के संबंध में जीएसटी चुकाने की देनदारी निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होगी : (i) इनवॉयस जारी होने की तारीख (ii) भुगतान की प्राप्ति, इनमें से जो भी पहले हो।
- **जीएसटी से छूट** : केंद्र अधिसूचना के जरिए जीएसटी के दायरे से कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को बाहर रख सकता है। यह जीएसटी परिषद के सुझावों पर आधारित होगा।
- **टैक्स योग्य राशि (सप्लाई की कीमत)** : जीएसटी उन वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई पर वसूला जाएगा, जिनकी कीमत में निम्नलिखित शामिल होगा : (i) सप्लाई पर चुकाई गई कीमत, (ii) दूसरे टैक्स कानूनों के तहत वसूले जाने वाले टैक्स और ड्यूटी, (iii) ब्याज, लेट फी, देर में किए जाने वाले भुगतान पर जुर्माना, इत्यादि।

वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई

- **वस्तुओं की सप्लाई का स्थान**: एकीकृत जीएसटी बिल वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई के लिए अलग नियमों का प्रावधान करता है, ताकि उनके सप्लाई के स्थान (राज्य) को निर्धारित किया जा सके। अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को फिजिकली मूव की जाती है, तो सप्लाई का स्थान उस वस्तु का अंतिम डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान होगा। दूसरे मामलों में सप्लाई का स्थान वह स्थान होगा, जहां किसी के द्वारा उस वस्तु को प्राप्त किया जाता है।
- **सेवाओं की सप्लाई का स्थान**: सेवाओं की सप्लाई का स्थान, सेवाओं की प्रकृति पर निर्भर करेगा जोकि अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अचल संपत्ति की सप्लाई का स्थान (जैसे किसी बिल्डिंग की डिजाइनिंग करने वाला आर्किटेक्ट) उस संपत्ति की लोकेशन होगा। विभिन्न सेवाओं, जैसे कटरिंग, स्पोर्टिंग ईवेंट्स, वस्तुओं का परिवहन, विज्ञापन, टेलिकम्यूनिकेशंस इत्यादि की सप्लाई के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट**: आउटपुट पर टैक्स चुकाने के अतिरिक्त प्रत्येक टैक्सपेयर इनपुट के लिए सप्लायर द्वारा चुकाए गए टैक्स पर क्रेडिट ले सकता है। हालांकि यह निम्नलिखित की सप्लाई पर लागू नहीं होगा (i) मोटर वाहन, जब उन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाए, (ii) खाद्य, स्वास्थ्य सेवाओं की सप्लाई, जब तक कि उन्हें सप्लाई करने के लिए आगे प्रयोग न किया जाए।
- **आईजीएसटी राजस्व का बंटवारा**: आईजीएसटी को केंद्र और उस राज्य के बीच बांटा जाएगा जहां वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग किया जाता है। सीजीएसटी की दर पर केंद्र के साथ राजस्व को बांटा जाएगा और शेष राशि उपयोग करने वाले राज्य को दी जाएगी।
- **टैक्सपेयर्स का पंजीकरण**: 20 लाख रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर उस राज्य में पंजीकरण कराना होगा, जहां वह कारोबार करता है। यह सीमा विशेष श्रेणी वाले राज्यों (यानी हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्य) के लिए 10 लाख रुपए है। किसी राज्य में अलग-अलग कारोबारी वर्टिकल के लिए कई पंजीकरण हो सकते हैं।
- **रिटर्न**: प्रत्येक टैक्सपेयर को अपने टैक्स का सेल्फ एसेसमेंट करना होगा और हर महीने टैक्स फाइल करना होगा। इसके लिए उसे निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे : (i) उसने जो सप्लाई की हैं, उनका विवरण, (ii) उसने जो सप्लाई प्राप्त की हैं, उनका विवरण, और (iii) टैक्स का भुगतान। प्रत्येक टैक्सपेयर को मासिक रिटर्न भरने के अतिरिक्त वार्षिक रिटर्न भी फाइल करना होगा।
- **रीफंड और वेल्फेयर फंड**: प्रत्येक टैक्सपेयर निम्नलिखित मामलों में टैक्स रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है: (i) अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करने पर (ii) ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट पर, जिसका उपयोग नहीं किया गया। इस रिफंड को टैक्सपेयर को चुकाया जा सकता है या विशेष परिस्थितियों में कंज्यूमर वेल्फेयर फंड में जमा किया जा सकता है।

राजस्व घाटे के लिए राज्यों को मुआवजा

- **राजस्व घाटे के लिए राज्यों को मुआवजा:** जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को राजस्व का जो नुकसान होगा, उसका मुआवजा दिया जाएगा। राज्य जीएसटी एक्ट जब से लागू होगा, तब से पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का कैलकुलेशन किया जाएगा और उसे निम्नलिखित तरीके से दिया जाएगा:
 - **अनुमानित वृद्धि दर और आधार वर्ष:** 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा और उस वर्ष जमा किए गए राजस्व के आधार पर मुआवजे की राशि का कैलकुलेशन किया जाएगा। आधार वर्ष के आधार पर 14% सालाना की वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाएगा। आधार वर्ष के टैक्स राजस्व में राज्यों के निम्नलिखित टैक्स शामिल होंगे : (i) मूल्य संवर्धित टैक्स (वैट), (ii) सेंट्रल सेल्स टैक्स, (iii) इंट्री टैक्स, चुंगी, लोकल बॉडी टैक्स, (iv) लगजरी पर टैक्स, और (v) विज्ञापनों पर टैक्स, इत्यादि। मानव उपभोग के लिए एल्कोहल और कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई से प्राप्त होने वाले राजस्व को आधार वर्ष के राजस्व में शामिल नहीं किया जाएगा।
 - **मुआवजे का कैलकुलेशन और उसे जारी करना:** राज्यों को चुकाए जाने वाले मुआवजे को प्रोविजनली कैलकुलेट किया जाएगा और हर दो महीने के अंत में जारी किया जाएगा। कुल राजस्व के सालाना कैलकुलेशन को भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा ऑडिट किया जाएगा।
 - **जीएसटी मुआवजा सेस की वसूली और भरपाई:** जीएसटी परिषद के सुझाव के आधार पर जीएसटी मुआवजा सेस वसूला जा सकता है। सेस से प्राप्त होने वाली राशि को जीएसटी मुआवजा फंड में जमा कराया जाएगा। जीएसटी के लागू होने के कारण राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए इस का प्रयोग किया जाएगा। सेस की अधिकतम दर होगी: (i) पान मसाला के लिए 135%, (ii) कोयले के लिए 400 रुपए प्रति टन, (iii) तंबाकू की 1,000 स्टिक्स पर 4,170 रुपए + 290%, और (iv) मोटर कार और एरेटेड पानी सहित सभी अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर 15%।
 - **मुआवजा अवधि के अंत में मुआवजा फंड में बची अनुपयुक्त राशि को केंद्र और राज्य के बीच निम्नलिखित प्रकार से बांटा जाएगा :** (i) फंड का 50% हिस्सा राज्यों के बीच उनके एसजीएसटी राजस्व के अनुपात में बांटा जाएगा, और (ii) शेष 50% हिस्सा केंद्र के डिजाइजिबल पूल में चला जाएगा।
 - **मुकदमा और अपील:** अगर कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराध करता है, (i) जैसे सप्लाई की गई वस्तुओं या सेवाओं की गलत जानकारी देना, (ii) इनवॉयस में प्रस्तुत किए गए विवरणों का गलत होना, तो ऐसी स्थिति में सीजीएसटी कमीशनर उस पर जुर्माना लगा सकता, उसे जेल भेजा जा सकता है या जुर्माना एवं जेल दोनों की सजा दे सकता है। ऐसे किसी आदेश के खिलाफ जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल और उसके बाद उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
 - **नई व्यवस्था में संक्रमण:** अगर किसी टैक्सपेयर ने मौजूदा सेंट्रल एक्साइज और राज्य वैट कानूनों के तहत हासिल इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं किया है तो वह उसे जीएसटी के तहत उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी जीएसटी के लागू होने से पहले खरीदे गए स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं।

बिल के अन्य प्रावधान

- **मुनाफाखोरी निरोध के उपाय:** केंद्र सरकार यह जांचने के लिए कानूनन किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है कि क्या टैक्स की दरों में कमी के परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आई है। प्राधिकरण की शक्तियों को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- **अनुपालन की रेटिंग:** प्रत्येक टैक्सपेयर को बिल के प्रावधानों के अनुपालन के उसके रिकॉर्ड के आधार पर एक रेटिंग स्कोर दिया जाएगा। इस रेटिंग स्कोर को एक निश्चित अंतराल पर अपडेट किया जाएगा और उसे पब्लिक डोमेन पर प्रस्तुत किया जाएगा।

विचारणीय मुद्दे

क. जीएसटी टैक्स दर की विभिन्न संरचनाएं [क्लॉज 9 और 10, केंद्रीय जीएसटी बिल, 2017]

केंद्रीय जीएसटी बिल, 2017 केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह उन दरों को अधिसूचित करे, जिन पर सीजीएसटी वसूला जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20% होगी। इसके अतिरिक्त 50 लाख रुपए से कम के टर्नओवर वाले कारोबारी सरकार द्वारा अधिसूचित फ्लैट रेट पर टैक्स चुका सकते हैं (जिसे कंपोजिशन लेवी कहा जाएगा), जिसकी अधिकतम सीमा 2.5% होगी। इससे कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं जिन पर निम्नलिखित चर्चा की गई है।

सरकार द्वारा सीजीएसटी दरों की अधिसूचना के लिए संसदीय मंजूरी जरूरी नहीं

केंद्रीय जीएसटी बिल, 2017 केंद्र सरकार को सीजीएसटी दरों को अधिसूचित करने की अनुमति देता है जिसकी एक अधिकतम सीमा होगी। इसका अर्थ यह है कि सरकार 20% की अधिकतम सीमा के साथ, इन दरों को बदल सकती है जिसके लिए उसे संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं। संविधान के तहत टैक्स वसूलने की शक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में निहित है।⁵ हालांकि डेलिगेटेड लेजिसलेशन यानी अधीनस्थ विधान के जरिए इन दरों को निर्धारित किया जा सकता है लेकिन सवाल यह है कि क्या संसदीय जांच और मंजूरी से पहले ऐसा करना उचित है।

संविधान कानून के अधिकार के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा किसी टैक्स को वसूलने या इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देता।⁶ वर्तमान में इनकम टैक्स, और सर्विस टैक्स वसूलने वाले अधिकतर कानून, प्रधान कानून में टैक्स की दरों को स्पष्ट करते हैं और इन दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है।^{7,8} एक ओर जहां सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, 1985 जैसे कानून सरकार को केवल आपात स्थिति में कर दरों में परिवर्तन के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति देते हैं, लेकिन 1985 के एक्ट में निर्धारित कर दरों, कुछ प्रतिबंधों और अधिकतम सीमाएं के अनुसार ही इन परिवर्तनों को किया जा सकता है।⁹

कर दरों की विभिन्न संरचनाएं जीएसटी के विचार के खिलाफ हो सकती हैं

केंद्रीय जीएसटी बिल, 2017 केंद्र को सीजीएसटी की दरों को अधिसूचित करने और कर दरों की विभिन्न संरचनाओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है। विभिन्न कर दरों पर किन वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगाया जाएगा, इसकी अधिसूचना भी सरकार द्वारा जारी की जाएगी। यह कहा जा सकता है कि ऐसी संरचना जीएसटी वसूलने के उस विचार के खिलाफ है जो सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक दर की बात कहता है।

दिसंबर 2015 में जीएसटी की राजस्व तटस्थ दर से संबंधित एक्सपर्ट कमिटी ने जीएसटी के लिए तीन दरों की संरचना का प्रस्ताव रखा था (देखें तालिका 1)¹⁰ हालांकि इन सुझावों को देते हुए कमिटी ने इस बात पर गौर किया था कि जिन 90% देशों ने जीएसटी को मंजूरी दी है, उन्होंने एकल दर संरचना को अपनाया है जिससे टैक्स व्यवस्था सहज रहती है। 13 वें वित्त आयोग (2009) ने सुझाव दिया था कि जीएसटी को 12% की एकल दर पर वसूला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसने कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी वस्तुओं एवं सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं को इस टैक्स से बाहर रखा जाना चाहिए।¹¹

जबकि कर की विभिन्न संरचनाओं से अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों पर जीएसटी के प्रभाव को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी, भिन्न-भिन्न स्लैब्स में वस्तुओं एवं सेवाओं को वर्गीकृत करना एक जटिल काम होगा।¹² वर्तमान में,

तालिका 1: राजस्व तटस्थ दर पर एक्सपर्ट कमिटी द्वारा प्रस्तावित संरचना

दर	आरणआर रिपोर्ट
निम्न दर (गरीबों के उपभोग की वस्तुएं)	12%
मानक दर (अधिकतर वस्तुएं एवं सेवाएं)	18%
डीमेरिट दर (लगजरी वस्तुएं)	40%

स्रोत: राजस्व तटस्थ दर और वस्तु एवं सेवा कर दरों की संरचना, पीआरएस।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर भिन्न-भिन्न दरों पर टैक्स वसूला जाता है जोकि भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से अलग-अलग है। उदाहरण के लिए केरल में नारियल के तेल पर 5% टैक्स लगता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 12%।^{13,14} इसलिए किसी विशेष दर पर किसी वस्तु एवं सेवा पर टैक्स लगाना एक जटिल काम होगा, क्योंकि इसे सरलतापूर्वक निकटवर्ती स्लैब रेट से नहीं जोड़ा जा सकता। भिन्न-भिन्न कर दरों का दूसरा नुकसान यह है कि इससे वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण में विवाद हो सकता है।¹⁵

ख. किसी एक राज्य में दी गई सेवाओं पर वसूली गई जीएसटी, लेकिन उसे कई राज्यों में उपयोग किया जा सकता है [सेक्शन 2(14), 2(15), 12, एकीकृत जीएसटी बिल, 2017]

वर्तमान में, सेवाओं पर केंद्र द्वारा टैक्स लगाया जाता है और इसलिए जिन राज्यों में उन्हें सप्लाई और उपयोग किया जाता है, उन्हें सर्विस टैक्स वसूलने से कोई मतलब नहीं होता। जीएसटी के तहत, केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी टैक्स सेवाओं का अधिकार होगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य सेवाओं की इंद्रा स्टेट सप्लाई की स्थिति में एसजीएसटी वसूलेंगे, जबकि केंद्र राज्यों के बीच सेवाओं की सप्लाई की स्थिति में आईजीएसटी वसूलेंगे और राजस्व के हिस्से को उस राज्य के साथ बांटेगा, जो उस सेवा को प्राप्त करेंगे।

सेवा प्राप्त करने वाले की लोकेशन को निर्धारित करने का सामान्य नियम यह है कि उसने रिकॉर्ड में क्या लोकेशन या पता दिया है; विभिन्न सेवाओं जैसे कि टेलीकॉम, प्रॉपर्टी, परिवहन इत्यादि के लिए विशिष्ट नियम भी हैं। इसका अर्थ यह है कि हालांकि किसी एक सेवा का उपयोग अनेक राज्यों में किया जा सकता है, टैक्स राजस्व उस राज्य के हिस्से जाएगा जिस राज्य में प्राप्तकर्ता ने अपना पंजीकरण कराया हो या उसका कार्यालय स्थित हो। इससे उन राज्यों को अधिक टैक्स मिलेगा, जहां पंजीकरण कार्यालयों की संख्या ज्यादा होगी।

उदाहरण के लिए, मुंबई की ए नामक कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन किसी समाचार पत्र के पटना संस्करण में करता है जिसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में स्थित है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि सेवाएं अंतिम रूप से बिहार में उपयोग की जा रही हैं। हालांकि सेवाओं का प्राप्तकर्ता मुंबई में है, इसलिए टैक्स महाराष्ट्र में जमा होगा।

ग. मुनाफाखोरी निरोध प्राधिकरण [सेक्शन 171, केंद्रीय जीएसटी बिल, 2017]

केंद्रीय जीएसटी बिल केंद्र सरकार को कानूनन मुनाफाखोरी निरोध प्राधिकरण के गठन की अनुमति देता है या वह चाहे तो किसी मौजूदा प्राधिकरण को यह कार्य करने का निर्देश दे सकती है। यह प्राधिकरण इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि जीएसटी के लागू होने के बाद कर दरों में कमी होने से कीमतों में भी गिरावट होगी। यह कहा जा सकता है कि इससे सरकार को सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने और उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार मिल सकता है, जोकि इस विचार के खिलाफ हो सकता है कि इन कीमतों को बाजार में उनकी मांग और सप्लाई के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि वस्तु या सेवा की कीमत अनेक कारकों पर निर्भर करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इनपुट की कीमत, (ii) उत्पादन के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक, (iii) कर की दर, (iv) उत्पाद की मांग और आपूर्ति, (v) उपभोक्ता की प्राथमिकता और मौसमी भिन्नताएं, (vi) बाजार में प्रतिस्पर्धा (vii) वितरण के चैनल। चूंकि इन कारकों से जुड़ी कीमतों में फेरबदल होता रहता है, इसलिए यह तय करना मुश्किल होगा कि कर दरों में कमी से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होगी अथवा नहीं। चिंता का एक विषय यह भी हो सकता है कि कंपनी या कंपनियों का कोई समूह सांठ-गांठ करके कीमतों में हेर-फेर कर सकता है। हालांकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ऐसे मामलों की जांच करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है।

घ. जीएसटी मुआवजा फंड में अनुपयोगी राशि को केंद्र के साथ और राज्यों के बीच बांटने का तर्क का वित्त आयोग के फार्मूले से अलग है और अस्पष्ट भी है [सेक्शन 10, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) बिल, 2017]

संविधान (101वां) संशोधन एक्ट, 2016 केंद्र से अपेक्षा करता है कि जीएसटी के लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। राज्यों को मुआवजा देने के लिए जीएसटी के तहत कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा। हालांकि पांच वर्ष की अवधि के अंत में सेस से प्राप्त की गई जितनी राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसे केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से बांटा

जाएगा, राज्यों की हिस्सेदारी संक्रमण के पिछले वर्ष के उनके एसजीएसटी कलेक्शन के अनुपात में होगी।

केंद्र सरकार द्वारा इस टैक्स को उपभोक्ताओं से इकट्ठा किया जाएगा और सवाल यह है कि इसे केंद्र और प्रत्येक राज्य को किस प्रकार बांटा जाएगा। प्रत्यक्ष टैक्सों (और अन्य केंद्रीय टैक्सों जैसे कस्टम ड्यूटी) के संबंध में वित्त आयोग के सुझावों के आधार पर एक फार्मूला तैयार किया गया है।¹⁶ सीजीएसटी के जरिए इकट्ठा की जाने वाली राशि को बांटने और आईजीएसटी में केंद्र की हिस्सेदारी को तय करने के लिए भी इसी फार्मूले का प्रयोग किया गया है। मुआवजा सेस के जरिए इकट्ठा की जाने वाली अतिरिक्त राशि के बंटवारे का फार्मूला इस फार्मूले से अलग है।

¹ The Central Goods and Services Tax Bill, 2017,

<http://www.prsindia.org/uploads/media/GST.%202017/Central%20GST%20Bill.%202017.pdf>.

² The Integrated Goods and Services Tax Bill, 2017,

<http://www.prsindia.org/uploads/media/GST.%202017/Integrated%20GST%20Bill.%202017.pdf>.

³ The Union Territory Goods and Services Tax Bill, 2017,

<http://www.prsindia.org/uploads/media/GST.%202017/Union%20Territory%20GST%20Bill.%202017.pdf>.

⁴ The Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017,

[http://www.prsindia.org/uploads/media/GST.%202017/GST%20\(Compensation%20to%20States\)%20Bill.%202017.pdf](http://www.prsindia.org/uploads/media/GST.%202017/GST%20(Compensation%20to%20States)%20Bill.%202017.pdf).

⁵ Article 110, 117, 199, and 207, Constitution of India.

⁶ Article 265, Constitution of India.

⁷ Income Tax Act, 1961, <http://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx>.

⁸ Chapter V of Finance Act, 1994 (Service Tax), <http://www.cbec.gov.in/resources/htdocs-servicetax/st-act-ason24oct2013.pdf;jsessionid=563C94DA45C14F08F031341EB59CE67A>.

⁹ Section 3, The Central Excise Tariff Act, 1985.

¹⁰ Report on the Revenue Neutral Rate and Structure of Rates for the Goods and Services Tax, Ministry of Finance, December 2015,

http://www.prsindia.org/uploads/media/Constitution%20122nd/Report_Revenue_Neutral_Rate.pdf.

¹¹ Report of the 13th Finance Commission, December 2009, <http://fincomindia.nic.in/ShowContentOne.aspx?id=28&Section=1>.

¹² Report of the Taskforce on Goods and Services Tax, Thirteenth Finance Commission, December 2009,

<http://www.prsindia.org/uploads/media/Constitution%20122nd/Report%20of%20Task%20Force-%20GST.pdf>.

¹³ Kerala Commercial Taxes, <http://keralataxes.gov.in/taxrate.aspx>.

¹⁴ Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008,

http://comtax.up.nic.in/Vat_Act/UPVAT%20SCHEDULE%20Updated%20upto%20dt%2012-03-2015.pdf.

¹⁵ Poddar S and Ahmad E, "GST Reforms and Intergovernmental Considerations in India", Working paper No. 1/2009-DEA, Ministry of Finance, Government of India,

<http://finmin.nic.in/WorkingPaper/GST%20Reforms%20and%20Intergovernmental%20Considerations%20in%20India.pdf>

¹⁶ Report of the Fourteenth Finance Commission, February 2015, <http://finmin.nic.in/14fincomm/14fceng.pdf>.

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूप या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।